(158)

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी अन्ता जिला बारां (राज0)

पीठासीन अधिकारी अंजना सहरावत (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :–71/2014
जी.सी.एम.एस संख्याः– 2013/00197

1– थाना अधिकारी अन्ता थाना अन्ता जिला बारां (सायल)

बनाम

1– नृसिंह दास बैरागी निवासी टारडी खेडा हाल रघुनाथदास ठाकुर जी महाराज मंदिर पुजारी टारडीखेडा
1/1 पुरूषोत्तम पुत्र नृसिंह दास जाति वैष्णव निवासी टारडा तहसील अन्ता जिला बारां राज0
2– जगदीश पुत्र बाबूलाल जाति बैरागी निवासी टारडीखेडा पुलिस थाना अन्ता रघुनाथ दास जी महाराज मंदिर पुजारी टारडीखेडा (गैरसायल)

वकील :–1. श्री अशोक कुमार दाधीच
2. श्री प्रमोद कुमार गालव
3. श्री भगवान प्रसाद दाधीच

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 145 सी.आर.पी.सी

निर्णय

दायरा दिनांक 07.01.2013 **निर्णय दिनांकः– 20.11.2024**

थाना अधिकारी अंता द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 145 सी.आर.पी.सी. इस्तगासा पेश किया जिसका विवरण निम्नानुसार हैः–

वाकेयात मामला इस्तागासा हाजा इस प्रकार से है कि वाके माल टारडीखेडा में विवादित आराजी खाता संख्या 311 ख0नं0 563 रकबा 2.67 हे0 आराजी मुताबिक रेकार्ड रेवेन्यू के खातेदार मंदिर श्री ठाकुर जी महाराज वाके स्थान देह. शजरा टारडीखेडा के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज है तथा ठाकुर जी महाराज के मंदिर की पूजा पुजारी कालूदास ही करता आ रहा था तथा उपरोक्त आराजी को मंदिर सेवा पूजा हेतु काश्त करवाता आ रहा था। कालूदास के कोई संतान नहीं होने से कालूदास ने अपने जीवनकाल में मन्दिर की सेवा पूजा हेतु जगदीश पुत्र बाबूलाल बैरागी निवासी टारडी खेडा को गोद रख लिया था। कालूदास की मृत्यु के बाद मंदिर की डोहली उक्त आराजी व मंदिर की सेवा पूजा जगदीश बैरागी ही विगत 18 साल से करता आ रहा था। वर्ष 2010 में गावं के व्यक्तियों द्वारा नाराजगी प्रकट करने के बाद मंदिर की सेवा पूजा हेतु रामप्रसाद पुत्र नवलदास बैरागी को रख लिया तथा उसके पश्चात रामप्रसाद ने सेवा पूजा हेतु नौकर नृसिंहदास बैरागी नि0 टारडीखेडा को रख लिया। जगदीश बैरागी से नृसिंहदास को मंदिर की सेवा पूजा नहीं करने दे रहा है तथा मंदिर के नाम आराजी को जगदीश बैरागी को भी नही करने दे रहा है। उपरोक्त आराजी मंदिर डोहली को काश्त करने तथा मंदिर की सेवा पूजा करने हेतु पार्टी न0 1 व पार्टी नं0 2 में शांति भंग का अंदेशा पाया जाने पर उपरोक्त दोनों पार्टियों के खिलाफ इस्त0 107–116 (3) सी. आर.पी.सी. के जर्ये क्र0 7229 दिनांक 08.11.2012 को न्यायालय श्रीमान में पेश किया

(अंजना सहरावत)
उपखण्ड अधिकारी अन्ता
जिला बारां (राज0)

गया। किन्तु दोनों पक्ष मंदिर की डोहली (आराजी) को काश्त करने तथा रघुनाथ जी ठाकुर जी महाराज की मंदिर की सेवा–पूजा करने के मामले को लेकर लडाई–झगडा होता रहता है। भविष्य में दोनों पक्ष मंदिर की डोहली को काश्त करने व मंदिर की सेवा पूजा करने के मामले को लेकर लडाई–झगडा कर सकते हैं। इसके चलते गावं टारडीखेडा में कभी भी भारी अंशाति का खतरा है जो कभी भी बडा रूप धारण कर सकता है।

अतः श्रीमान से निवेदन है कि वाकेमाल टारडीखेडा की विवादित आराजी खसरा नं. 563 रकबा 2.67 हेक्टर व मंदिर रघुनाथ जी ठाकुर जी महाराज से राज्य सरकार के अधीन अधिग्रहण कर राज सरकार करे ताकि किसी प्रकार की जन–हानि नहीं हो सके तथा गावं टारडीखेडा में कोई विवाद पैदा नहीं हो।

अतः इस्तगासा अन्तर्गत धारा 145 सी.आर.पी.सी विवादित आराजी व मंदिर रघुनाथ दास जी महाराज दोनों पक्षो का रिसीवरी कार्यवाही किये जाने हेतु श्रीमान की सेवा में सादर प्रेषित है।

प्रकरण में पार्टी नं0 1 व 2 को समन जारी कर तलब किया गया पार्टी 1 व 2 ने प्रस्तुत किया जो इस प्रकार है–

प्रार्थी पार्टी क्रम–1 नृसिंहदास बैरागी नोटिस इस्तगासा अन्तर्गत धारा 145 सी. आर.पी.सी. का सविनय निम्नलिखित जवाब प्रेषित करता हैः–

पार्टी क्रम 1/ प्रार्थी नृसिंहदास बैरागी कालूदास जी के जीवनकाल में मन्दिर श्री ठाकुर (रघुनाथ) जी महाराज विराजमान टारड़ीखेड़ा में स्थित है जिनकी सेवा– पूजा तकरीबन 7–8 वर्ष तक कर चुका था उस समय स्वयं कालूदास बैरागी पार्टी क्रम 1/ प्रार्थी को लेकर आये थे लेकिन पार्टी क्रम 1 के पारिवारिक समस्याओं के कारण उसको जाना पड़ा, उस समय से ही ग्राम टारडीखेडा के फूल माली समाज के समस्त व्यक्ति एवं गांव के अन्य लोग भी जानते थे।

कालूदास बैरागी का स्वर्गवास होने के उपरान्त ग्राम टारडीखेडा के फूलमाली समाज के समस्त पंच पटेलों द्वारा पार्टी क्रम 1 को बुलाया गया तथा पार्टी क्रम 1 से कहा कि सामूहिक मन्दिर श्री ठाकुर (रघुनाथ) जी महाराज विराजमान टारडीखेडा की सेवा पूजा करो, तो पार्टी क्रम 1 सहमत हो गया।

पार्टी क्रम 1 की सेवा पूजा का निरीक्षण एक माह तक फूलमाली समाज के पंच पटेलों द्वारा किया गया जिसके बाद फूलमाली समाज के पंच पटेलों की जनसभा बुलाकर पार्टी क्रम 1 को मन्दिर की सेवा पूजा की शर्तें बताकर रखा गया। पार्टी क्रम 1 के कहने पर पंच पटेलों के द्वारा सादा कागज लिखावट लिखकर हस्ताक्षरों सहित दिया गया है। पार्टी क्रम 1 को मन्दिर श्री ठाकुर (रघुनाथ) जी महाराज विराजमान टारडीखेडा की सेवा पूजा के लिए पुनः ग्राम के फूलमाली समाज के समस्त पंच पटेलों के द्वारा दिनांक 02–07–2009 को रखा गया, जब से लेकर आज तक मन्दिर की सेवा पूजा पार्टी क्रम 1 शांतिपूर्वक करता आ रहा है।

पार्टी क्रम 1 नृसिंहदास बैरागी पुत्र श्री देवादास को मन्दिर श्री ठाकुर (रघुनाथ) जी महाराज की सेवा पूजा पर रखने के लिए ग्राम टारड़ीखेडा के फूलमाली समाज की श्री मदनलाल पुत्र माधोलाल माली की अध्यक्षता में माली समाज की जनसभा आहूत हुई जिसमें सर्व सम्पति से पार्टी क्रम–1 को मन्दिर की सेवा पूजा के लिए रखा गया है। इस जनसभा की एक रजिस्टर उस समय बनाया गया जिसमें समस्त जनसभा के उपस्थित लोगों के हस्ताक्षर एवं अंगूठा निशानी करवाई गयी। उस समय किसी व्यक्ति ने विरोध नहीं किया, इस जनसभा में मन्दिर की कृषि भूमि डोहली ख0नं0 563 रकबा 2.67 हे० वाके माल टारडीखेडा की भी व्यवस्था की गई जिसके अनुसार उक्त जनसभा द्वारा प्रस्ताव रजिस्टर में प्रस्ताव के माध्यम से बोली लगाकर अधिक राशि लगाने वाले व्यक्ति

(अंजना सहरावत)
उपखण्ड अधिकारी अन्ता
जिला बारां (राज.)

को मुनाफा काश्त पर दी जाती है। प्राप्त राशि से मन्दिर के घी– तेल– पूजा सामग्री तथा प्रस्ताव के माध्यम से मन्दिर की मरम्मत रंग रोगन, शेष बची राशि से पार्टी क्रम 1 अपना भरण पोषण करता है। पार्टी क्रम 1 का उक्त कार्यवाही से कोई लेना–देना नहीं है। अगर पार्टी क्रम 1 को ग्राम के फूलमाली समाज के पंच पटेल अगर आज ही हटा दे तो सेवा–पूजा छोड़कर अन्यत्र व्यवस्था करने को तैयार है अगर राजस्थान सरकार के द्वारा कार्यवाही करनी है तो ग्राम टारडीखेडा के फूलमाली समाज के समस्त पंच पटेलों के विरूद्ध करें जिन्होंने पार्टी क्रम 1 को मन्दिर की सेवा पूजा के लिए रखा है।

पार्टी –1 को उक्त कार्यवाही में बेबुनियाद एवं झूठा फंसाया गया है। पार्टी क्रम 1 की किसी के साथ आज दिन तक कुछ भी कहासुनी नहीं हुई है। पार्टी क्रम 1 को गांव के पंचो द्वारा रखा है तब से लेकर आज तक शांति के साथ स्वस्थ मस्तिष्क एवं अन्तःकरण से सेवा पूजा बिना रोक–टोक के कर रहा है। उक्त कार्यवाही पार्टी क्रम 1 विरूद्ध कपोल कल्पित मनगढन्त तथ्यों को आधार बना कर की गई जो खारिज होने योग्य है।

मन्दिर श्री ठाकुर (रघुनाथ) जी महाराज के खाते की कृषि भूमि को गांव के फूलमाली समाज के पंच पटेल जनसभा कर मन्दिर की कृषि भूमि की बोली लगाते हैं जो अधिक राशि लगाता है उसको मुनाफा काश्त पर देते हैं राशि को मन्दिर के घी– तेल भोग इत्यादि कार्य के लिए पार्टी क्रम 1 को दे देते हैं। इस सम्पूर्ण प्रक्रिया में पार्टी क्रम 1 का कोई रोल नहीं होने के कारण पार्टी क्रम 1 के विरूद्ध उक्त कार्यवाही को निरस्त फरमाया जावे। समाज के व्यक्तियों ने जनसभा कर मन्दिर की कृषि भूमि को 2013–2014 के लिए बोली लगाकर काश्त पर दे दी है।

पार्टी क्रम 2 ने जो जवाब दिया है उसकी मद क्रम 1 में भूमि मन्दिर के नाम होना स्वीकार है। शेष चरण जानकारी के अभाव में अस्वीकार है। पार्टी क्रम 2 के जवाब की मद क्रम 2 जानकारी के अभाव में अस्वीकार है।

पार्टी क्रम 2 के जवाब की मद क्रम 3 अस्वीकार है। पार्टी क्रम 2 स्वयं ही अपने जवाब में मन्दिर की सेवा पूजा नहीं करना और गांव के बाहर रहना स्वीकार कर रहा है पार्टी क्रम 1 द्वारा निरन्तर सेवा पूजा करना बताया है। पार्टी क्रम 2 के जवाब की मद क्रम 4 अस्वीकार है। पार्टी क्रम 2 के जवाब की मद क्रम 5 अस्वीकार है। पार्टी क्रम 2 के जवाब की मद क्रम 6 जानकारी के अभाव में अस्वीकार है।

पार्टी क्रम 2 के जवाब की मद क्रम 7 जानकारी के अभाव में अस्वीकार है लेकिन मन्दिर सम्पत्ति जो कि विराजमान मूर्ति (नाबालिग) सम्पत्ति है उस पर कोई उत्तराधिकार लागू नहीं है।

पार्टी क्रम 2 के जवाब की मद क्रम 8 में अंकित तथ्य कपोल कल्पित मनगढन्त है। गांव के फूलमाली समाज के पंच पटेलों द्वारा मन्दिर की कृषि भूमि की बोली लगवा कर वर्ष 2013–14 के लिए काश्त पर दी है जिसकी आय से मन्दिर में घी– तेल–भोग इत्यादि कार्यों के लिए राशि प्राप्त हो सके तथा शेष चरण सर्वथा अस्वीकार है।

मन्दिर की व्यवस्था को खण्ड–विखण्ड करने के लिए उक्त कार्यवाही की गई जो खारिज होने योग्य है। यह कि पार्टी क्रम 2 द्वारा ही पार्टी क्रम 1 को मन्दिर विराजमान ठाकुर जी महाराज का सेवायत होना स्वीकार अपने जवाब में किया है।

अतः पार्टी क्रम 2 की प्रार्थना सर्वथा अस्वीकार है तथा एस.एच.ओ. अन्ता की प्रार्थना अस्वीकार है।

अतः प्रार्थी/पार्टी क्रम – 1 जवाब पेश कर सविनय निवेदन है कि उक्त कार्यवाही में पार्टी क्रम 1 का कोई लेना देना नहीं है जिस कारण पार्टी क्रम 1 के विरूद्ध की गई कार्यवाही को निरस्त फरमाया जावे।

(अंजना सहरावत)
उपखण्ड अधिकारी अन्ता
जिला बारां (राज0)

पार्टी नं0 2 की ओर से जवाब नोटिस इस्तगासा धारा 145 सी.आर.पी.सी निम्न प्रकार पेश किया गया है–

विवादित आराजी मुताबिक जमाबन्दी सं0 2069–2072 वर्तमान रिकार्ड में खाता सं0 311 ख0नं0 563 रकबा 2.67 हे० भूमि बखाता खातेदार मन्दिर श्री ठाकुर रघुनाथ जी महाराज सा० देह टारडीखेडा पुजारी कालूदास पुत्र सांवलदास जाति बैरागी निवासी टारडीखेड़ा तह० अन्ता के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

उक्त खातेदार पुजारी कालूदास जी के कोई संतान नहीं थी। पुजारी कालूदास जी मन्दिर के सेवा पूजा के लिए अपने जीवनकाल में जगदीश पुत्र बाबूलाल जाति बैरागी निवासी टारडीखेडा को गोद रख लिया था। कालूदास जी की मृत्यु के बाद मन्दिर की डोहली व आराजी व मन्दिर की सेवा पूजा जगदीश बैरागी विगत 18 सालों से करता आ रहा है।

सन् 2003 में रामप्रसाद पुत्र नवलदास जाति बैरागी भी सेवा पूजा करने लगे, जगदीश पार्टी नं0 2 एक वर्ष के लिए बाहर गांव चले जाने के कारण मन्दिर की पूजा के लिए पार्टी नं0 2 के रिश्ते में मामा लगने के कारण मन्दिर की सेवा पूजा के लिए पार्टी नं0 2 व गांव वालों ने रख लिया, जिसके बाद एक– एक वर्ष के लिए पंचों के फैसला अनुसार काश्त करते चले आ रहे हैं।

पुजारी रामप्रसाद बैरागी का गांव वालों से झगड़ा होने के कारण पुजारी रामप्रसाद के द्वारा वर्तमान में पुजारी नृसिंहदास बैरागी को महीने के 1000/–रूपये के प्रतिमाह के हिसाब से नौकर सेवा पूजा करने के लिए रखा गया था।

पुजारी नृसिंहदास बैरागी के मन में बेईमानी आ जाने के कारण मन्दिर में रहने लग गया तथा उक्त आराजी पर कब्जा कर लिया, जबकि पार्टी नं० 1 का इसमें कोई अधिकार नहीं है।

पार्टी नं0 2 जगदीश बैरागी पुजारी कालूदास जी के जीवनकाल से सेवा पूजा करता आ रहा था तथा उनकी मृत्यु के बाद भी जगदीश ही मन्दिर की सेवा पूजा करता आ रहा है।

कालूदास जी ने गांव वालों के सामने जगदीश बैरागी को गोद रखा था जिसका वारिसान प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत सोरखण्डकलां के द्वारा जारी किया गया, वारिसान प्रमाण पत्र से साबित होता है कि पुजारी कालूदास जी के सारे क्रिया–कर्म आदि पुजारी जगदीश के द्वारा किये गये हैं।

नृसिंहदास गांव के कुछ लोगों से मिलकर उक्त आराजी को हड़पना चाहता है इसमें नृसिंहदास का कोई अधिकार नहीं है वह रामप्रसाद बैरागी द्वारा नौकरी पर रखा था जिसका एक वर्ष का कार्यकाल समाप्त हो गया हैं तथा पार्टी नं० 1 भू–माफियों से मिलकर जमीन को खुर्द–बुर्द करने तथा रहन, बेचान करने पर आमादा है तथा इसकी वजह से गांव में दो गुट हो चुके हैं तथा दोनों गुटों में खूनी संघर्ष होने की संभावना है तथा वर्तमान में सरसों की फसल खड़ी हुई है जो एक–दो दिन में कटने वाली है इस फसल कटाई को लेकर दोनों गुटों में भारी संघर्ष होगा तथा दोनों गुटों में भारी जनहानि होने की संभावना है। सरसों की फसल काटने के लिए एस.एच.ओ. अन्ता को आदेशित कर उक्त फसल को पुलिस थाना अन्ता द्वारा कटवाई जाकर पुलिस थाना अन्ता में रखवायी जाये तथा पार्टी नं० 1 ने उक्त आराजी को रामगोपाल सुमन के गिरोह को 1,05,000/– रूपये में अगले वर्ष के लिए मुनाफा काश्त पर दे दी है तथा प्रार्थना पत्र 145 सी.आर.पी.सी. में पार्टी नं० 1 देरी कर गैर कानूनी रूप से फसल काटने पर आमादा है तथा न्यायालय कार्यवाही को बाधित कर रहा है।

(अंजना सहरावत)
उपखण्ड अधिकारी अन्ता
जिला बारां (राज0)

अतः जवाब पेश कर निवेदन है कि पार्टी नं0 2 के विरूद्ध जारी नोटिस निरस्त किये जाकर पार्टी नं० 1 को पाबन्द किया जावे कि प्रार्थी पार्टी नं0 2 को शांतिपूर्वक कब्जे में बाधा उत्पन्न न करे, यदि कोई अधिकार विवादित भूमि के सम्बन्ध में हो तो सक्षम न्यायालय में कार्यवाही करे व अपने अधिकार घोषित करवायें तथा गांव में शांति बनाये रखने एवं मन्दिर की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए दोनो पक्षों को पाबन्द करते हुए मन्दिर के पुजारी व उक्त मन्दिर माफी की भूमि पर काश्त करने हेतु एस.एच.ओ. अन्ता को रिसीवरी नयुक्त किया जावे।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी द्वारा दिनांक 08.04.2013 को प्रार्थना पत्र में निम्न प्रकार अन्तरिम आदेश पारित किया:–

"पत्रावली पेश हुई सी.एच.ओ उपस्थित नहीं। पार्टी नं0 1 व पार्टी न0 2 दोनों का जवाब प्रस्तुत हो चुका है। पार्टी नं0 1 के अभिभाषक ने कहा कि वह एस.एच.ओ से जिरह करना चाहते हैं जिसका प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। अपने पक्ष में साक्ष्य पेश करना चाहते हैं। पक्षकार नं0 2 के अभिभाषक ने बताया कि पक्षकार नं0 1 का इस इस्तगासे से कोई लेना–देना है और 145 सी.आर.पी.सी की कार्यवाही के दौरान गैर–सरकारी मंदिर की देखरेख हेतु एक संस्था बनाई है और पंचो द्वारा लगाई गई बोली से विवाद की संभावना है जबकि मंदिर की भूमि शाश्वत नाबालिग की भूमि है। दोनों पक्षों के कथनों का अवलोकन किया गया। चूंकि पत्रावली के अभी साक्ष्य नहीं हुआ है और मौके पर यदि फसल को जुपाते है तो लडाई–झगडे की संभावना है। अतः हस्तगत प्रार्थना पत्र में यह आदेश दिया जाता है कि जब तक 145 सी.आर.पी.सी की पत्रावली में कोई आदेश नहीं हो जाता है तब तक कोई भी पक्षकार नीलामी व मुनाफे से भूमि को नहीं जुपायेगा।"

उपखण्ड अधिकारी द्वारा प्रकरण में विधिक राय चाही गई कार्यालय लोक अभियोजक, बारां जिला बारां द्वारा विधिक राय प्रस्तुत की जो निम्न प्रकार है :–

उक्त पत्र के संदर्भ मे आप द्वारा 145 सीआर०पी०सी० के संबंध में विवादित आराजी में आदेश दि० 08/04/2013 के संबंध में विधिक राय चाही गई है जो निम्न प्रकार है–

1. कि दिनाक 08.04.2013 के निर्णय के अवलोकन से स्पष्ट है कि एस. डी. ओ. अन्ता के समक्ष पुलिस द्वारा 145 जा०फो० की कार्यवाही इस आशय को पेश की गई थी कि ग्राम टारडीखेडा के ख०नं० 563 रकबा 2.67 हे मे नृसिंहदास व जगदीश के मध्य विवाद चल रहा था तथा उसमें शान्तिभंग होने एवं लडाई–झगडे की पूर्ण संभावना मानी गई है जिस पर न्यायालय एस०डी०एम० अन्ता द्वारा जो भूमि मन्दिर की है तथा दोनों पक्षों की लडाई–झगडे की संभावना को देखते हुए अन्तरिम आदेश दिया गया था कि जब तक 145 सी.आर.पी.सी की कार्यवाही का निर्णय नहीं हो जाता तब तक दोनों पक्षकार उक्त भूमि की नीलामी मुनाफे पर नहीं जुपाएंगे। संलग्न प्रार्थना पत्र 24.09.2013 जगदीश व रमेशचंद्र की ओर से प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि उक्त आराजी में सोयाबीन की फसल बो दीं गई है तथा उक्त आराजी की फसल को काटकर एक पक्ष नृसिंहदास स्वयं अपने प्रतिनिधि के द्वारा बोयी हुई फसल को कटवा रहे हैं जबकि दिनांक 08.04.2013 को न्यायालय द्वारा निर्णय देने के बाद उक्त आराजी की फसल के लिए दोनों पक्षकार पाबन्द थे। नृसिंहदास द्वारा जिला एवं सेशन न्यायाधीश बारां में दिनांक 08.04.2013 के निर्णय के विरुद्ध एक निगरानी पेश की गई थी जिसका क्रमांक 25/2013 आगामी पेशी 23.10.2013 नियत हैं।

न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा मात्र अन्तरिम आदेश के रिवीजन पर पक्षकारों को नोटिस जारी किये हैं उसमें किसी प्रकार का अन्तरिम आदेश 08.04.2013 के बाबत कोई हस्तक्षेप नहीं किया ना कोई आदेश पारित किया गया हैं।

(अंजना सहरावत)
उपखण्ड अधिकारी अन्ता
जिला बारां (राज0)

उक्त अन्तरिम आदेश 08.04.13 के अवलोकन व जिला एवं सेशन न्यायालय की पत्रावली देखाने के बाद न्यायालय एस०डी०एम० अन्ता द्वारा उक्त खसरा नं० पर यदि किसी व्यक्ति ने उक्त भूमि पर कोई फसल बोई है तो उसे एस०डी०एम० अन्ता अपने स्तर पर उक्त फसल को कटवाकर तथा जिस व्यक्ति द्वारा उस जमीन पर दखल लिया है उसके विरूद्ध फौज० कार्य० कर फसल को जप्त कर उसकी नीलामी कर राजकोष में राशि जमा कराई जावे तथा निर्णय 145 दं०प्र०सं० के बाद जिसके पक्ष में निर्णय हो उसे नियमानुसार उक्त राशि का भुगतान कर दिया जावे। इसमें किसी प्रकार की कानूनी बाधा नहीं है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अन्ता के आदेश दिनांक 08.04.2013 के विरूद्ध अप्रार्थीगण ने श्रीमान न्यायालय सेशन एवं न्यायाधीश बारां में अपील प्रस्तुत की जिसमें दिनांक 29.05.2014 को श्रीमान न्यायालय सेशन एवं न्यायाधीश बारां द्वारा दिनांक 08.04.2013 को एक रिसीवरी आदेश पारित किए:–

निगरानीकार के विद्वान अभिभाषक उपस्थित। गैर निगरानीकार के विद्वान अभिभाषक उपस्थित। आदेश दिनांक 08.04.2013 को अवलोकन किया गया। विद्वान अभिभाषक निगरानीकार का यह निवेदन है कि उपखण्ड अधिकारी अन्ता ने दिनांक 08.04.2013 को जो आदेश पारित किया है वह किसी भी प्रकार से विधि सम्मत् आदेश नहीं है केवल राजनैतिक दबाव के कारण यह आदेश पारित किया गया है। उक्त आदेश में भूमि को किसी पक्षकार को काश्त नहीं करने का आदेश दिया गया है जो किसी प्रकार से न्यायोचित नहीं है, क्योंकि जमीन मौके पर बिंना काश्त के पडत रहने से किसी पक्षकार को कोई लाभ नहीं होता है। अतः धारा 145 दं०प्र०सं० की कार्यवाही किये बिना जो कार्यवाही की गई है वह उचित नहीं है। अतः उक्त आदेश अपास्त किये जाने का निवेदन किया।

विद्वान लोक अभियोजक का तर्क है कि प्रस्तुत रिपोर्ट पत्रावली में दी गई है। दोनों पक्षों में पुजारी को लेकर विवाद होने से यह कार्यवाही की गई है तथा एस.एच.ओ कोई निगरानी नहीं कर रहा है। इसलिये यह कार्यवाही आवश्यक है।

दोनों पक्षों को सुना गया। आलौच्य आदेश का अवलोकन किया। धारा 145 द०प्र०सं० के तहत कार्यवाही लम्बित है। इसी बीच दिनांक 08.04.2013 को यह आदेश पारित किया गया है कि पंचो द्वारा लगाई गई बोली से विवाद की संभावना है जबकि मंदिर की भूमि शाश्वत नाबालिग की भूमि है। यदि किसी पक्षकार को फसल के लिए जुपा दी गई तो लडाई–झगडे की संभावना है। अतः यह आदेश दिया जाता है कि जब तक 145 द०प्र०सं० के तहत पत्रावली में कोई आदेश पारित नहीं हो जाता तब तक कोई भी पक्षकार नीलामी व मुनाफे से भूमि को नहीं जुपायेगा।

मेरी विधि सम्मत् राय में काश्त की भूमि को पडत रखने से किसी पक्षकार को कोई फायदा नहीं होता है, 2.67 हेक्टर भूमि है जो मंदिर ठाकुरजी महाराज वाके स्थान देह मजरा टारडीखेडा पुजारी कालूदास के नाम हैं। यह भी तथ्य सामने आया हैं कि कालूदास की मृत्यु के बाद उक्त मंदिर की सेवा पूजा जगदीश बैरागी विगत 18 साल से करता आ रहा था किन्तु वर्ष 2010 में गांव के व्यक्तियों द्वारा नाराजगी प्रकट करने के बाद मंदिर की सेवा पूजा हेतु रामप्रसाद बैरागी को रख लिया गया उसके बाद रामप्रसाद ने सेवा पूजा हेतु नृसिंहदास बैरागी को नौकर रख लिया। जगदीश बैरागी को नृसिंहदास मंदिर की सेवा पूजा नहीं करने दे रहा है तथा मंदिर के नाम आराजी को भी जगदीश बैरागी को नहीं करने दे रहा है।

"ऐसी सूरत में मेरी विधि सम्मत राय में जमीन को पड़त रखने से किसी पक्षकार को कोई फायदा नहीं होता तथा भूमि मंदिर की होने से सेवा पूजा भी इसी मंदिर की आय से होती है। अतः उपखण्ड अधिकारी अन्ता का आदेश दिनांक 08.04.

(अंजना राहरावत)
उपखण्ड अधिकारी अन्ता
जिला बारां (राज०)

2013 अपास्त किया जाता है तथा यह आदेश दिया जाता है कि स्वयं अथवा अपने अधीनस्थ किसी सक्षम अधिकारी की रिसीवरी में भूमि पर काश्त करवायी जावे तथा काश्त से जो भी राशि प्राप्त हो वह मंदिर में सेवा पूजा हेतु यथोचित रूप से खर्च करें तथा यह भी आदेश दिया जाता है कि धारा 145 दं०प्र०सं० की कार्यवाही का निस्तारण तीन माह के अंदर आवश्यक रूप से करें। पत्रावली फैसलशुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली आदेश की प्रति के साथ लौटाई जावे।"

पत्रावली प्राप्त होने के पश्चात दिनांक 27.05.2024 को पार्टी सं0 1 व 2 के द्वारा राजीनामा पेश किया गया जो निम्न प्रकार है:–

पार्टी नं0 1 पार्टी नं0 2 के मध्य राजीनामा पेश किया गया। राजीनामा अनुसार ग्राम टारडीखेडा तहसील अन्ता की आराजी खाता स० 311 ख0न0 563 रकबा 2.67 हे0 भूमि खातेदार मन्दिर श्री ठाकुरजी महाराज वाके स्थान ग्राम टारडीखेडा में भूमि स्थित है जो मन्दिर की भूमि है। जिस पर पुजारी जगदीश प्रसाद वैष्णव पूजा कर रहा है और पूर्व में यही पूजा करता था और दोनों पक्षों के मध्य मन्दिर की भूमि को लेकर विवाद था अब उक्त भूमि को लेकर कोई विवाद नहीं रहा है।

पुजारी नृसिंहदास की मृत्यु के बाद उसका पुत्र पुरुषोत्तम वारिस है। ग्राम टारडीखेडा मे खाता स० 333 पुराना 328 ख0न0 563 कुल रकबा 2.67 हे० नहरी–2 में स्थित है जिसकी अन्ता तहसील द्वारा रिसीवरी कर रखी है तथा जो रकम रिसीवरी की राशि तहसील अन्ता में जमा है उसको दोनों पक्षकार बराबर–बराबर करेंगे।

वर्ष सन् 2024 तक की पार्टी न0 2 जगदीश प्रसाद पुत्र श्री रघुनाथ के मन्दिर की पूजा अर्चना करेगा तथा इसी प्रकार सन् 2025–26 को प्रथम पक्षकार उक्त भूमि को काश्त करेगा व श्री रघुनाथ जी का मन्दिर की पूजा अर्चना करेगा तथा हर वर्ष दोनों पक्षकार मन्दिर की अपने–अपने अनुसार मन्दिर का रख–रखाव करेगें तथा दोनों पक्षकार मन्दिर का निर्माण कार्य करवायेगें तथा माफी डोहली से तेल भोग की व्यवस्था करेगें एवं मन्दिर समिति के अनुसार त्यौहारों का आयोजन दोनों पक्षकार करेगें।

यह कि कार्यवाही 145 सी०आर०पी०सी० सरकार एस०एच०ओ० अन्ता बनाम नृसिंहदास मृतक कायम मुकामान पुरूषोत्तम व जगदीश प्रसाद परिवाद स० 01/2013 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अन्ता में जैरकार है तथा रिसीवरी राशि दोनों पक्षकार की बराबर–बराबर रहेगी। दोनों पक्षकारों की कार्यवाही खारिज फरमायी जावे व रिसीवरी के आदेश निरस्त फरमाया जावे तथा पूर्व में भी जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, द्वारा दिनांक 13–04–2014 को श्रीमान को आदेश निरस्त फरमा दिया गया है। उसके बाद कोई आदेश पारित नहीं किया गया है।

दोनों पक्षकार आज दिनांक 20.11.2024 को न्यायालय में हाजा में हाजिर आए। दोनों के द्वारा पूर्व में प्रस्तुत राजीनामा दिनांक 27.05.2024 को पढकर सुनाया। दोनों ने सुन–समझ कर सही बताते हुए पीठासीन अधिकारी के समक्ष राजीनामें एवं आदेशिका पर हस्ताक्षर किए। राजीनामा तस्दीक किया गया। चूंकि दोनों पक्षकारों द्वारा राजीनामा कर लिया गया हैं। इसलिए अब प्रकरण में लडाई–झगडे की संभावना शेष नहीं रह गई हैं।

अतः थानाधिकारी अन्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 145 सी.आर.पी. सी. लडाई–झगडे की संभावना राजीनामा पेश होने से निर्मूल हो जाने के कारण आगे चलने योग्य नहीं रहने से खारिज किया जाता है। मूल प्रार्थना पत्र 145 सी.आर.पी.सी. खारिज हो जाने के कारण प्रार्थना पत्र में जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा एवं रिसीवरी न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अन्ता द्वारा जारी आदेश दिनांक 08.04.2013 एवं श्रीमान्

(अंजना सहरावत)
उपखण्ड अधिकारी अन्ता
जिला बारां (राज0)

न्यायालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश बारां द्वारा जारी आदेश दिनांक 29.05.2014 (आमद संख्या 203 दिनांक 30.05.2014) का अस्तित्वहीन होने से समाप्त हो चुके हैं।

अतः तहसीलदार अन्ता को आदेश दिये जाते हैं कि प्रार्थना पत्र के अंतर्गत विवादित भूमि रिसीवरी मुक्त हो जाने से आगामी वर्ष के लिए आराजी पर रिसीवरी बोली नहीं लगावें तथा प्रकरण में रिसीवरी में जमा कुल राशि की वर्षवार गणना कर, मिलान कर अप्रार्थीगण पार्टी नं0 1 नृसिंहदास बैरागी निवासी टारडी खेडा हाल रघुनाथदास ठाकुर जी महाराज मंदिर पुजारी टारडीखेडा के कायम मुकाम 1/1 पुरूषोत्तम पुत्र नृसिंहदास जाति वैष्णव निवासी टारडा तहसील अन्ता जिला बारां राज0 एवं पार्टी नं0 2 जगदीश पुत्र बाबूलाल जाति बैरागी निवासी टारडीखेडा पुलिस थाना अन्ता रघुनाथ दास जी महाराज मंदिर पुजारी टारडीखेडा के मध्य आधी–आधी बांटकर प्रदान करें। अप्रार्थीगण पार्टी नं0 1 नृसिंहदास बैरागी निवासी टारडी खेडा हाल रघुनाथदास ठाकुर जी महाराज मंदिर पुजारी टारडीखेडा के कायम मुकाम 1/1 पुरूषोत्तम पुत्र नृसिंहदास जाति वैष्णव निवासी टारडा तहसील अन्ता जिला बारां राज0 एवं पार्टी नं0 2 जगदीश पुत्र बाबूलाल जाति बैरागी निवासी टारडीखेडा पुलिस थाना अन्ता रघुनाथ दास जी महाराज मंदिर पुजारी टारडीखेडा वर्ष 2025 में आराजी ग्राम टारडीखेडा मे खाता स० 333 पुराना 328 ख0न0 563 कुल रकबा 2.67 हे० भूमि पर शामिल काश्त व मंदिर की शामिल सेवा–पूजा करेंगें। आगामी वर्ष 2026 में जगदीश पुत्र बाबूलाल काश्त करेगें तथा वर्ष 2027 में पुरूषोत्तम पुत्र नृसिंहदास काश्त करेगें तथा इसी क्रमानुक्रम में एक–एक वर्ष काश्त करते रहेगें।

क्रियात्मक आदेश

थानाधिकारी अन्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 145 सी.आर.पी.सी. खारिज किया जाता है। तहसीलदार अन्ता को आदेश दिया जाता है कि ग्राम टारडीखेडा में खाता स० 333 पुराना 328 ख0न0 563 कुल रकबा 2.67 हे० भूमि रिसीवरी मुक्त की जाती है इस भूमि पर आगामी वर्ष के लिए रिसीवरी बोली नहीं लगावें तथा रिसीवरी राशि की गणना कर पार्टी नं0 1 नृसिंहदास बैरागी निवासी टारडी खेडा हाल रघुनाथदास ठाकुर जी महाराज मंदिर पुजारी टारडीखेडा के कायम मुकाम 1/1 पुरूषोत्तम पुत्र नृसिंहदास जाति वैष्णव निवासी टारडा तहसील अन्ता जिला बारां राज0 एवं पार्टी नं0 2 जगदीश पुत्र बाबूलाल जाति बैरागी निवासी टारडीखेडा को बराबर–बराबर (आधी–आधी) प्रदान करें। आराजी ग्राम टारडीखेडा में खाता स० 333 पुराना 328 ख0न0 563 कुल रकबा 2.67 हे० भूमि पर पार्टी नं0 1 व 2 वर्ष 2025 में शामिल काश्त व मंदिर की शामिल सेवा–पूजा करेंगें। आगामी वर्ष 2026 में जगदीश पुत्र बाबूलाल काश्त करेगें तथा वर्ष 2027 में पुरूषोत्तम पुत्र नृसिंहदास काश्त करेगें तथा इसी क्रमानुक्रम में एक–एक वर्ष काश्त करते रहेगें। पालना के लिए तहसीलदार अन्ता को पत्र जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 20.11.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास में सुनाया गया।

(अंजना सहरावत)
उपखण्ड अधिकारी
अन्ता जिला बारां (राज0)